नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कालसी भू०सं० वन प्रभाग, कालसी में गौण वन उपज वर्ष 2024 के लौट संख्या–40/2023-24 मालझन पत्ते की नीलामी दिनांक 29.07.2024 को प्रातः 11.30 बजे प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भू०सं० वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय में किया जायेगा। अतः इच्छुक केताओं से अनुरोध है कि वे नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर बोली देने का कष्ट करें।

क्र0सं0	लौट संख्या	रेंज का नाम	किस्म लौट	क्षेत्र का नाम
1	40/2023-24	तिमली	मालझन	सम्पूर्ण रेंज (वनीकरण क्षेत्र को छोड़कर)

नियम व शर्तें

1. इस नीलाम की कार्यवाही में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी विक्रय नियम लागू होगें।
2. नीलाम में बोली देने से पूर्व क्रेता लौटों का भली भांति निरीक्षण कर ही बोली दें। यदि कोई शंका हो तो सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, वन दरोगा व वन रक्षक से शंका समाधान कर लें।
3. प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली से पूर्व ₹ 5,000/– की नगद धनराशि धरोहर के रूप में जमा करनी होगी। धरोहर राशि प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के कार्यालय में दिनांक 29.07.2024 को जमा की जायेगी। बिना धरोहर राशि जमा किये कोई भी व्यक्ति बोली में सम्मिलित नहीं होगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को लौट की जमानत विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत की धनराशि विक्रय मूल्य के अतिरिक्त जमा करनी होगी, जो कार्य पूर्ण होने के उपरान्त क्रेता/ठेकेदार को वन क्षेत्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण–पत्र के पश्चात वापस लौटायी जायेगी।
5. बोलीदाता को अपना पूरा पता मय आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, पैन/जी0एस0टी0 नम्बर, लिखेगा।
6. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 50 प्रतिशत अंशराशि उसी दिन जमा करनी होगी। शेष राशि लौट में कार्य आरम्भ करने से पूर्व जमा करनी होगी तथा बोलीदाता को नियमानुसार बिकी कर/जी0एस0टी0 का भी भुगतान करना होगा।
7. दैवी आपदा/आग आदि के कारण क्षति पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. लौट में कार्य करते हुए ठेकेदार या उसके श्रमिक द्वारा जंगल में यदि कोई क्षति पहुंचाई जाती है। तो उसकी क्षति पूर्ति ठेकेदार को करनी होगी।
9. विभाग में पंजीकृत ठेकेदार ही बोली में भाग ले सकते हैं।
10. अन्य जानकारी राजस्व लिपिक एवं रेंज कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू०सं० वन प्रभाग, कालसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी।

पत्रांक-191 /9-1,दिनांक, कालसी 20-7- ,2024

पत्रांक–191 /(1) तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2– मुख्य वन संरक्षक, निगरानी, मूल्यांकन, आई0टी0, और आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून इस अनुरोध से प्रेषित कि उक्त नीलामी सूचना को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करने की कृपा करें।
3– वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी।
5– उप प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– वन क्षेत्राधिकारी, चौहडपुर, तिमली तथा लांघा को अतिरिक्त प्रतियों सहित ठेकेदारों के मध्य वृहद प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।
12– सूचनापट।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू०सं० वन प्रभाग, कालसी।

Revenue.821
Raju